भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 814
दिनांक 24 जुलाई, 2025

'ए' श्रेणी के रिटेल आउटलेट स्थलों के विकास के लिए दिशानिर्देश

†814. **श्रीमती स्मिता उदय वाघः**
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 'ए' श्रेणी के रिटेल आउटलेट (आरओ) स्थलों के विकास के लिए लैटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) धारकों को जारी किए गए दिशानिर्देश क्या हैं, जिनमें प्रवेश/निकास, त्वरण/मंदन लेन, सर्विस रोड, सीमा/प्रतिधारण दीवारें आदि के लिए भूमि विकास शामिल है;
(ख) क्या ऐसे सभी भूमि विकास कार्य एलओआई धारक द्वारा किए जाने हैं या कुछ घटक संबंधित ओएमसी द्वारा किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ओएमसी को भूमि मालिक के साथ भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले और 'ए' श्रेणी के आरओ स्थल के मामले में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की मंजूरी से पहले आरओ स्थलों पर मोटर स्पिरिट (एमएस)/हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) भूमिगत टैंक स्थापित करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या एलओआई धारकों को राजमार्ग/सर्विस रोड के साथ समतलीकरण के लिए आरओ स्थल पर बड़े गड्ढे खोदने और लघु खनिज निकालने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या ओएमसी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही टैंक के गड्ढे की खुदाई का कार्य करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) के लिए डीलर चयन दिशानिर्देश (डीएसजी) में अन्य बातों के साथ-साथ आरओ के विकास के लिए प्रावधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिसमें कार्य का दायरा एवं 'ए' साइट आरओ पर डीलर और ओएमसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ शामिल हैं। डीएसजी के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा 'ए' साइट आरओ पर मोटर स्प्रिट (एमएस)/हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी) भूमिगत टैंक उपलब्ध करवाएँ एवं इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके अलावा, डीलर (ओएमसी द्वारा विनिर्दिष्ट)/ओएमसी द्वारा "ए" साइट आरओ पर निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी होती हैं;

क्र.सं.	सुविधा का प्रकार	साइट का प्रकार
		"ए"/"सीसी" साइट
		किसके द्वारा सुविधा का प्रावधान किया जाएगा-
क	बुनियादी सुविधाएँ:	
i.	ओएमसी के अनुसार विनिर्देशित विकसित भूमि जिसमें प्रवेश/निकास/एक्सेलरेशन/डी-एक्सेलरेशन/चाहरदीवारी के साथ सेवा सड़क/अहाता/रिटेंशन शामिल हैं	डीलर
ii.	टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेज, ऑटोमेशन आदि।	ओएमसी
iii.	बिक्री कार्यालय, स्टोर रूम, शौचालय, विद्युत कक्ष, विद्युत कनेक्शन (ओएमसी द्वारा बताई गई क्षमता के अनुसार), जल कनेक्शन, यार्ड की प्रकाश व्यवस्था, आदि।	ओएमसी
iv.	जेनरेटर/इन्वर्टर	डीलर
v.	वायु भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेज के साथ कंप्रेसर (ओएमसी द्वारा नियत)	ओएमसी/डीलर
vi.	ड्राइववे	ओएमसी
vii.	कैनोपी (ओएमसीज की आवश्यकता के अनुसार)	ओएमसी
ख	ग्राहक के निमित्त सुविधाएँ	
i.	स्वच्छ पेय जल, साफ सुथरे शौचालय का रखरखाव, दूरभाष आदि	डीलर

ग्राहक सेवा के लिए आवश्यक साइट विशिष्ट अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे कि स्टाफ़-कम-चेंज रूम, सर्विस स्टेशन, रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, पीयूसी सुविधा और/या अन्य सुविधाएँ जो समय-समय पर ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं, ओएमसी/डीलर द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान की जानी चाहिए। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार डीलर आरओ में अग्निशमन/सुरक्षा उपकरण प्रदान करता है।

डीलर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा डीलर को जारी किए गए आशय पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

पीएसयू ओएमसी द्वारा आशय पत्र केवल खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए निर्गत किया जाता है। लघु खनिज का निष्कर्षण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमावली द्वारा शासित होते हैं।

पीएसयू ओएमसीज के वर्तमान दिशानिर्देशों और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, उत्खनन से पहले भूस्वामी के साथ भूमि पट्टे सम्बन्धी करार और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित लेआउट योजना के बिना पीएसयू ओएमसीज द्वारा एमएस/एचएसडी भूमिगत टैंक इंस्टॉल नहीं किए जा सकते हैं।

*****